ई-मेल

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/पी/प्रशिक्षण/38/2009/663 भोपाल, दिनांक 30/07/2009

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय :-- हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों के विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 25.07.2009 का कार्यवाही विवरण।

माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों के विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में दिनांक 25.07.2009 को मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 315 में बैठक आयोजित की गई थी। जिसका कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।

कार्यवाही विवरण में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संलग्न – कार्यवाही विवरण की प्रति।
(पृष्ठ 1 से 5)

(डॉ. कौशल किशोर पाण्डेय)
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/विद्या/पी/प्रशिक्षण/38/2009/664 भोपाल, दिनांक 30/07/2009

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ आफीसर प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल।
4. आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र भोपाल।
5. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल।
7. निदेशक, गणित व विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर, भोपाल।
8. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र.भोपाल।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 25/07/2009 का कार्यवाही विवरण

हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में दिनांक 25/07/2009 को मान. मंत्री स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 315 में बैठक आयोजित की गयी जिसमें संलग्न **परिशिष्ट एक** अनुसार अधिकारी उपस्थित हुए।

बैठक में सर्वप्रथम संभागीय संयुक्त संचालकों से प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के आधार पर यह अनुभव किया गया कि कक्षा 10वीं में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा संस्कृत एवं कक्षा 12वीं में अंग्रेजी, भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। सभी प्रशिक्षण राज्य स्तर पर निम्नानुसार आयोजित किये जायें।

1. **लक्ष्य समूहः–** मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 2984 हाईस्कूल एवं 1731 हायरसेकेण्ड्री तथा आदिवासी विकास विभाग के 692 हाईस्कूल, 523 हायरसेकेण्ड्री स्कूल एवं 12 आवासीय विद्यालय हैं। इन स्कूलों में पदस्थ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत के विषय शिक्षकों यथा व्याख्याता, शिक्षक, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक आदि को प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण में अतिथि शिक्षक शामिल नहीं किये जायें।

2. **प्रशिक्षण के विषयः–**
प्रशिक्षण के विषय निम्नानुसार रहेंगेः–
हाईस्कूल :– अंग्रेजी, संस्कृत, गणित तथा विज्ञान
हायरसेकण्ड्री :– अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स, केमेस्ट्री,

3. **प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का निर्माणः–**
बैठक में 05 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित संस्थाओं द्वारा निर्मित माड्यूल का अवलोकन किया गया :–

विषय	कक्षा	माड्यूल बनाने वाली संस्था का नाम
अंग्रेजी	हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री	आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल
संस्कृत	हाईस्कूल	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल
गणित	हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर *
विज्ञान	हाईस्कूल	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर
फिजिक्स, केमेस्ट्री,	हायरसेकेण्ड्री	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर

4. **माड्यूल में ब्ल्यू प्रिंट का समावेशः–**
माड्यूल में ब्ल्यू प्रिंट का समावेश कर माड्यूल को अंतिम रूप देते हुए इन्हें प्रकाशनार्थ मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा उक्तानुसार संस्थाओं को बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों के ब्ल्यू प्रिंट उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. **माड्यूल का प्रकाशनः–**

माड्यूल का प्रकाशन मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किया जाये।

6. **राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों का चयन एवं उन्मुखीकरण :–**

प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों का चयन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्वयं सेवी संगठन (एन.जी.ओ.) संस्कृत भारती, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान हैदराबाद, क्षेत्रीय विज्ञान संस्थान भोपाल, केन्द्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों उत्कृष्ट विद्यालयों, शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत विषय विशेषज्ञों/सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों आदि में से किया जाये। **इसके लिए सभी विषयों का एग्जाई रूप से विज्ञापन पेपर में प्रकाशित कराया** जाये। विज्ञापन में यह भी निर्देश दिये जायें कि आवेदक विषयमान के अनुसार निर्धारित संस्थाओं को आवेदन करें। चयनित स्रोत शिक्षकों को राज्यस्तर पर 24 से 28 अगस्त 2009 तक उन्मुखीकरण भी किया जाये। चयन किये गये स्रोत शिक्षकों को प्रतिदिवस प्रतिकाल खण्ड राशि रुपये 300/-- की पात्रता होगी। एक दिन में अधिकतम 03 कालखण्ड ले सकेंगे।

7. **राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों के उन्मुखीकरण हेतु विषय विशेषज्ञों की कार्यशाला**

राज्य स्तरीय स्रोत शिक्षकों के पूर्व विषय विशेषज्ञों की दिनांक 09–10 अगस्त 2009 को कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसमें माड्यूल के संबंध में तथा प्रशिक्षण में किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, इस संबंध में तथा स्रोत शिक्षकों का चयन एवं उन्मुखीकरण के संबंध में चर्चा की जायेगी।

8. **राज्यस्तरीय विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण का स्वरूप :–**

8.1 **राज्यस्तरीय प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं:–**

राज्यस्तरीय प्रशिक्षण निम्नानुसार संस्थाओं द्वारा उनके समक्ष में अंकित स्थानों पर दिया जायेगा एवं अंतिम कालम में अंकित संस्था व्यय वहन करेगी :–

विषय	कक्षा	प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम	प्रशिक्षण स्थल	व्यय वहन करने वाली संस्था का नाम
अंग्रेजी	हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री	आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान भोपाल	भोपाल	राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
संस्कृत	हाईस्कूल	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल	इन्दौर	महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल
गणित	हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री	गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	भोपाल	माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल
विज्ञान	हाईस्कूल	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर	जबलपुर	राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
फिजिक्स, केमेस्ट्री,	हायरसेकेण्ड्री	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर	जबलपुर	राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

आदिवासी विकास विभाग के व्याख्याता/शिक्षकों के टी.ए./डी.ए. की राशि तथा माड्यूल की राशि संबंधित विषय के उक्तानुसार संस्थानों को आदिवासी

विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। माड्यूल प्रकाशन तथा उक्त प्रशिक्षण में राशि कम पड़ने पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उक्त संस्थानों को दी जायेगी।

8.2 प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय होगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल पर ही रुकना अनिवार्य होगा।

8.3 अप्रशिणार्थियों को प्रशिक्षण के एक दिवस पूर्व अपनी उपस्थिति देना होगी। वे जाने का रिजर्वेशन प्रशिक्षण समाप्ति के दिवस रात्रि 8.00 बजे से पूर्व की ट्रेन का नहीं करायेंगे।

8.4 यह प्रशिक्षण प्रति बैच 5 दिवसीय होगा। विषय शिक्षकों का प्रशिक्षण 01 सितम्बर 2009 से प्रारंभ किया जायेगा तथा यह प्रशिक्षण तब तक अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक कि संबंधित विषय के प्रदेश के सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण न हो जाये प्रदेश के सभी जिलों के विषय शिक्षकों का प्रशिक्षण चक्रानुक्रम में सम्पन्न होगा ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

8.5 जिस विषय के प्रशिक्षण में विद्यालय के शिक्षक/प्रशिक्षक/प्रशिक्षणार्थी के रूप में शामिल हों उस विषय में प्रशिक्षण अवधि के लिए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर ली जाये ताकि विद्यालय का अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो।

8.6 प्रशिक्षण के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों का प्रीटेस्ट एवं प्रशिक्षण के पश्चात् पोस्ट टेस्ट लिया जायेगा। प्रशिक्षण व्याख्यान पद्वति पर आधारित न होकर क्रियात्मक एवं प्रयोजनात्मक पद्वति पर होगा।

8.7 अंग्रेजी तथा संस्कृत का प्रशिक्षण संभाषण पद्धति पर आधारित होना चाहिए। भाषाओं के प्रशिक्षण को इस प्रकार डिजायन किया जाये कि प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों में संभाषण कौशल विकसित हो सके तथा सरल भाषा में वे व्यवहार करने में सक्षम हो सकें।

8.8 प्रशिक्षण स्थल पर प्रेरणाप्रद पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगी। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थी यदि पुस्तकें क्रय करना चाहते हों तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में रुपये 200/– प्रदाय किये जायें।

8.9 प्रशिक्षण स्थल पर कोटेशन, नीतिवाक्य, प्रेरक फोटोग्राफ्स आदि लगाये जायें।

8.10 प्रशिक्षण स्थल पर साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये।

8.11 भोजन अत्यन्त गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

8.12 अंग्रेजी के ऐसे प्रशिक्षकों का ही चयन किया जाये जो हिन्दी में भी दक्ष हों।

8.13 प्रशिक्षण में प्रातःकाल योग एवं शाम को मनोरंजन हेतु व्यवस्था की जाये।

8.14 शाम को व्यक्तित्व विकास पर आधारित कक्षाओं का आयोजन किया जाना उचित होगा। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस एवं द्वितीय दिवस मूल्य आधारित तथा नीति परक परिचर्चा का आयोजन किया जाये।

8.15 दोंनों समय का भोजन निम्नानुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रारंभ किया जाये।

अन्न ग्रहंण करने से पहले विचार मन में करना है,
किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है।
हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में,
लग जाये तन, मन, धन मेरा मातृभूमि की सेवा में।।

8.16 सभी प्रशिक्षणार्थियों को लेमिनेटेड तथा आकर्षक परिचय पत्र दिये जायें जिसमें **"राष्ट्रऋषि"** अंकित हो।

8.17 समय विभाग चक्र तैयार करते समय त्योहारों को शामिल नहीं किया जाये।

8.18 आवास एवं भोजन की व्यवस्था का दायित्व संबंधित संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक तथा प्रशिक्षण आयोजित कराने वाली संस्था के प्रमुख का होगा।

9. प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति

प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना संबंधित संस्था प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक का होगा। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं उन्हें आगामी प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। जिन जिलों/संभागों के शत–प्रतिशत विषय शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होंगे वहां के जिला शिक्षा अधिकारी तथा संभागीय संयुक्त संचालक को भी उत्तरदायी माना जायेगा।

10. मानिटरिंग :–

प्रशिक्षण की मानिटरिंग आयुक्त लोक शिक्षण तथा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र प्रशिक्षण आयोजित करने वाली संस्थाओं, संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

11. प्रशिक्षण प्रतिवेदन तथा डाक्यूमेंटेशन :–

प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षण का प्रतिवेदन आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा आयुक्त लोक शिक्षण को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रतिवेदन में जिला अंतर्गत कुल शिक्षकों की संख्या प्रशिक्षित किये गये शिक्षकों की संख्या तथा शेष शिक्षकों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा द्वारा अनुमोदित

(बी. आर. नायडू)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश